प्रेसनोट – **दिनांक- 14.10.2026**

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अवैध गांजा (मादक पदार्थ) बेचने वाले 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2,000/- रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित -

पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मु0अ0सं0 12/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचक एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 13.10.2026 को मा0 न्यायालय स्पे.(जे) एससी/एसटी कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा अवैध गांजा (मादक पदार्थ) बेचने वाले दोषी अजय कुमार कन्नौजिया पुत्र फूलचंद निवासी पुराना गोला मुहल्ला बेनी का कुआं थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 2,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थ दंड ना अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानो द्वारा महिलाओं बलिकाओं एवं छात्राओं को किया जा रहा जागरुक, पंपलेट वितरित कर दी जा रही महत्वपूर्ण जानकारी -

नारी शक्ति का करें सम्मान, तभी बनेगा देश महान।"""
मिशन शक्ति 6.0 के चरण के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण की ओर सशक्त पहल

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा, के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों स्कूलों कालेजों एव गांवो में जाकर आमजन, विशेषकर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही पम्पलेट वितरित किया जा रहा है।

अभियान के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों, महिला उत्पीड़न एवं लैंगिक अपराधों से बचाव, साइबर अपराधों के प्रति सतर्कता तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के

संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही, बालिकाओं को गुड टच-बैड टच की जानकारी, बाल अधिकारों तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया गया।

पुलिस टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों तथा पुलिस सहायता सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, छेड़छाड़ अथवा असुरक्षा की स्थिति में बिना किसी भय के पुलिस से संपर्क करने एवं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया।

अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन पुलिस सहायता 112, महिला हेल्पलाइन 181 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के संबंध में भी जागरूक किया गया। इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध सहायता, परामर्श एवं मार्गदर्शन के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया।

जनपद मऊ पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति प्रतिबद्ध है। मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के माध्यम से महिला सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने, महिलाओं में आत्मविश्वास विकसित करने तथा सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ द्वारा पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर अभिलेखों के रख-रखाव एवं कार्यों की समीक्षा की गई।

आज दिनांक 14.10.2026 को पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा पुलिस कार्यालय जनपद मऊ की विभिन्न शाखाओं का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक मऊ ने कार्यालय अभिलेखों के रख-रखाव, व्यवस्था का गहन अवलोकन किया।

निरीक्षण के क्रम में आंकिक शाखा, प्रधान लिपीक कार्यालय, मॉनिटरिंग सेल, रिट सेल अन्य शाखाओं के अभिलेखों एवं पंजिकाओं का परीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा अभिलेखों को अद्यतन रखने, लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने तथा कार्यालय कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने शाखा प्रभारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए जनसामान्य से प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण पर विशेष बल दिया। साथ ही कार्यालय परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव तथा डिजिटल माध्यमों के अधिकतम उपयोग हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

पुलिस अधीक्षक मऊ ने कहा कि पुलिस कार्यालय की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाना प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुशासन, समयबद्धता एवं उत्तरदायित्व के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या करने वाले 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 15,000-15,000/- रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित -

पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मु0अ0सं0 1196/2010 धारा 302,120ब भादवि थाना घोसी जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचक एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 14.10.2026 को मा0 न्यायालय एएसजे - 1 कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा हत्या करने वाले 02 दोषी अभियुक्तगण 1. अमित सिंह पुत्र वकील सिंह निवासी हाजीपुर थाना घोसी जनपद मऊ 2. तेजबहादुर चौहान उर्फ टिंकल पुत्र सुरेंद्र चौहान निवासी बनियापार चक मुजतबा थाना घोसी जनपद मऊ को आजीवन कारावास की सजा व 15,000-15,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थ दंड ना अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा उपनिरीक्षक से निरीक्षक पद पर पदोन्नत पुलिसकर्मी को शुभकामनाएँ दी गईं।

आज दिनांक 14.10.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में यातायात शाखा में नियुक्त उ0नि0 संतोष कुमार यादव को उपनिरीक्षक पद से निरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए पुलिसकर्मी को उनके कंधों पर स्टार लगाकर पदोन्नति की बधाई एवं शुभकामनाएँ दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं लगन के साथ करने हेतु प्रेरित किया।

मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत मिशन शक्ति टीम व एंटी रोमियो टीम द्वारा कुल 22 स्टंटबाजों/शोहदों का बंधपत्र भरवाया गया-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद में चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 14.10.2026 को दक्षिणटोला द्वारा थाना स्थानीय पुलिस टीम के साथ मिशन शक्ति टीम एवं एंटी रोमियो टीम को लेकर थाना क्षेत्र में भ्रमण किया गया।

इस दौरान स्कूल/कॉलेज, मंदिर, मस्जिद एवं चौराहों पर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान दोपहिया वाहनों पर तेज रफ्तार से चलने वाले, विचलित करने वाले लड़कों तथा स्टंटबाजी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों की जांच की गई। संदिग्ध रूप से घूमते हुए पाए गए शोहदों एवं मनचलों को चेतावनी दी गई। साथ ही उनके परिजनों को बुलाकर आवश्यक हिदायत दी गई तथा नियमानुसार बंधपत्र भी भरवाया गया।

इसी क्रम में वाहन चेकिंग के दौरान कुल 22 स्टंटबाजों/शोहदों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए बंधपत्र भरवाया गया तथा चेतावनी देकर छोड़ा गया।

जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 50,000/- (पचास हजार रुपये) पीडित को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ सर्वेश कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल

पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 14.10.2026 को पीड़ित/आवेदक शमशाद अहमद निवासी रघुनाथपुर थाना कोतवाली जनपद मऊ, यूपीआई के माध्यम से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 50,000/- (पचास हजार रुपये) MRM PORTAL के माध्यम से थाना घोसी साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें । साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में दिनांक- 14.10.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत टीमे गठित कर जनपद के विभिन्न स्थानों पर बदल बदलकर सदिग्ध वाहनो/ व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 199 वाहनों को एमवी एक्ट के अन्तर्गत चालान किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील किया गया है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानों पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।